प्रेसनोट

पिथौरागढ़–07.09.13(सूवि),

भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी का 126 वॉ जन्मदिन समारोह 10 सितम्बर को मनाये जाने हेतु जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डा.आनन्द श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रातः 9.00 बजे कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के मुख्यालय के स्कूली बच्चों द्वारा रामलीला मैदान से प्रभात फेरी निकाली जायेगी, जो नगर के विभिन्न मार्गो से होते हुए घंटाकरण में पंत जी की मूर्ति के पास से होते हुए नगरपालिका सभागार में पहुंचेगी।

प्रातः 10.00 बजे सभी कार्यालयों, विद्यालयों में भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी के चित्र पर माल्यार्पण किया जायेगा और 10.30 बजे घंटाकरण स्थिति पंत जी की मूर्ति पर जिला प्रशासन, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों आदि द्वारा माल्यार्पण किया जायेगा। 11.00 बजे प्रातः नगर पालिका सभागार में निबंध, क्विज, पेटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरूस्कृत किया जायेगा। निबंध, क्विज, पेटिंग प्रतियोगिताएं विद्यालयों में 9 सितम्बर को आयोजित होंगी। नगर पालिका सभागार में विभिन्न विद्यालयों के चुनिंदा बच्चों द्वारा भाषण प्रतियोगिता होगी और देशभक्ति गीत आयोजित किये जायेंगे। सभी कार्यक्रम सादगी से मनाये जायेंगे।

नगरपालिका सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को सम्मानित किया जायेगा और वहीं पर अन्य सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे। ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा। बैठक में फूलों की व्यवस्था जिला उद्यान अधिकारी तथा नगरपालिका हाल में सभी व्यवस्थायें अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद को दी गई। पंत जी के 126 जन्मदिवस के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों आदि को आमंत्रित करने हेतु अधिशासी अधिकारी नगरपालिका पिथौरागढ़ तथा प्रभारी अधिकारी संग्रहालय को जिम्मा दिया गया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के साथ अपर जिलाधिकारी बीएल राणा, उप जिलाधिकारी नरेश दुर्गापाल, नगरपालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, मुख्य शिक्षाधिकारी विनोद कुमार टम्टा, जिला शिक्षाधिकारी रमेश राम आर्या, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खीमा नंद जोशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, प्रभारी संग्रहालय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पिथौरागढ़–07.09.13(सूवि),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ओम कुमार ने सूचित किया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान एवं जिला जज की अध्यक्षता में 28 सितम्बर को जिला मुख्यालय के साथ तहसील मुख्यालयों में भी मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि लोक अदालत में लंबित दीवानी, फौजदारी, राजस्व, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, भरण–पोषण, पारिवारिक विवादों सहित लघु आपराधिक वादों आदि का निस्तारण सुलह–समझौते एवं स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा।

उन्होंने कहा है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में सुलह–समझौते के प्रयास हेतु विचार विमर्श करने के लिए 21 सितम्बर को समय अपरान्ह में जिला न्यायालय के सभाकक्ष में प्रारम्भिक बैठक का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने वादकारियों को अपने मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालयों से संपर्क स्थापित करने को कहा है।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।